न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम रूडकी, जिला हरिद्वार
प्रकीर्ण वाद संख्या 120 / 2023
कम्प्यूटर संख्या 358 / 2020
विशाखा शर्मा बनाम अर्पित शर्मा आदि
CNR No- UKHA06-003662-2020

धारा 12 डी0वी0 एक्ट
थाना मंगलौर, जिला हरिद्वार

दिनांक 10.08.2026

पुकार कराई गई। पुकार पर पत्रावली पेश हुई। पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को विपक्षी संख्या 1 अर्पित शर्मा द्वारा पक्षकारो की पुत्री से मिलवाये जाने की प्रार्थना के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024, प्रार्थिनी से उसके बैंक खातो की जानकारी मंगाये जाने हेतु योजित प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 पर ,तथा विपक्षी की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम की धारा 25(2) के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूर्व में सुना जा चुका है, पत्रावली उपरोक्त प्रार्थना पत्रो पर आदेश हेतु नियत है।

2. विपक्षी की ओर से स्वयं की पुत्री से मिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संक्षेप में कथन है कि,वाद उपरोक्त में प्रार्थी / विपक्षी की पुत्री ध्वनि प्रार्थीया श्रीमती विशाखा शर्मा की अभिरक्षा में है। प्रार्थी / विपक्षी को अपनी पुत्री ध्वनि से प्रार्थीया द्वारा वर्ष 2019 से आज तक मिलने नहीं दिया गया है। प्रार्थी अपनी पुत्री ध्वनि से न मिलने के कारण मानसिक रूप से अत्यधिक पीडित है। न्यायहित में प्रार्थी / विपक्षी को उसकी पुत्री ध्वनि से मिलवाया जाना अति आवश्यक है आदि कथन कर प्रार्थी को उसकी पुत्री ध्वनि से मिलवाने के आदेश पारित करने प्रार्थना की गयी।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर व्यथिता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें सक्षेप में कथन किया गया है कि, यह कि विपक्षी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 झूठे एवं मनधडन्त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहना कि प्रार्थीया ने पुत्री ध्वनी को वर्ष 2019 से आज तक विपक्षी से मिलने नहीं दिया बिल्बुल झूठ एवं गलत है जबकि सही तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी व उसके परिवार वालों द्वारा प्रार्थीया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करते हुए दहेज की मांग की जाती थी तथा कई बार पंचायत होने के पश्चात प्रार्थीया विपक्षी के पास रहने के लिए गयी थी। विपक्षी ने प्रार्थीया व प्रार्थीया की पुत्री का त्याग वर्ष 2018 से किया हुआ है तब से लेकर आज तक विपक्षी द्वारा अपनी पुत्री से मिलने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 03.03.2020 को सहारनपुर में तलाक का मुकदमा भी दायर किया था जिससे भी यह साबित होता है कि विपक्षी प्रार्थीया व प्रार्थीया की पुत्री को अपने साथ रखना नहीं चाहता है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीया के भाई अर्पित कुमार शर्मा के विरूद्ध अपने पिता की हत्या के सम्बन्ध में झूठा मुकदमा सहारनपुर में किया हुआ है। जिसका विचारण भी सहारनपुर में चल रहा है। विपक्षी द्वारा प्रार्थीया व प्रार्थीया की पुत्री के साथ रिश्ते इतने खराब कर दिये गये है जिनका भविष्य में ठीक होना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। प्रार्थीया को डर है कि यदि प्रार्थीया ने अपनी पुत्री को विपक्षी से मिलने दिया तो वह प्रार्थीया की पुत्री के साथ कोई भी गलत हरकत कर सकता है। उपरोक्त कारणों अन्य कानूनी कारणों के आधार पर विपक्षी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

4. सुना व अवलोकन किया।

5. विपक्षी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 में प्रार्थिनी द्वारा पक्षकारो की पुत्री को विपक्षी से वर्ष 2019 से नही मिलने दिये जाने के कथन कर विपक्षी को अपनी पुत्री से मिलवाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है जिस पर प्रार्थिनी की ओर से आपत्ति कर विपक्षी द्वारा स्वयं प्रार्थिनी व उसकी पुत्री का परित्याग वर्ष 2018 से किये जाने ,विपक्षी द्वारा रिश्तो को खराब किये जाने के कथन करते हुये उनकी पुत्री के विपक्षी से मिलने दिये जाने पर उसके साथ गलत हरकत किये जाने का भय होना कहा गया है। दोराने बहस विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्षी का अपनी पुत्री से प्राकृतिक स्नेह के कारण मिलने हेतु प्रार्थना किया जाना व प्रार्थिनी द्वारा आपत्ति में विपक्षी का अपनी ही पुत्री से गलत हरकत करने से सम्बन्धित कथनो से विपक्षी को मानसिक आघात लगना कहा गया, जिसके खण्डन में प्रार्थिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये कि, पक्षकारो की पुत्री के जन्म के कुछ माह उपरान्त से ही प्रार्थिनी अपनी पुत्री के साथ विपक्षी से पृथक निवास कर रही है इतने वर्षो की अवधि में उसके द्वारा अपनी पुत्री से मिलने का कोई प्रयास नही किया गया । विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र केवल प्रार्थिनी को परेशान करने हेतु योजित किया गया है ।

6. अवलोकनीय है कि हस्तगत प्रकीण वाद दिनांक 18.05.2020 को प्रार्थिनी की ओर से घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अर्न्तगत योजित जिस प्रार्थना पत्र पर गतिमान है उक्त में पक्षकारो की पुत्री का जन्म दिनांक 16.01.2018 को होना अंकित है तथा प्रार्थिनी की ओर से दाखिल आज्ञापक शपथपत्र में विपक्षी से पृथक रहने की तिथि / अवधि माह अगस्त वर्ष 2018 अंकित है व पक्षकारो की पुत्री तत्समय से ही प्रार्थिनी की अभिरक्षा में होना अभिकथित है। विचारणीय है कि पक्षकारो के मध्य विघमान विवा द की प्रकृति तथा पक्षकारो की पुत्री की आयु तथा उसके विघालय में अघ्ययनरत होने के तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान में विपक्षी का उसकी पुत्री से मिलने के आदेश पारित करने से उसकी भावनात्मक मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। अतः हस्तगत

प्रर्कीण वाद में विपक्षी द्वारा अपनी पुत्री से मिलवाने हेतु योजित प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है तदनुसार अस्वीकार। पत्रावली विपक्षी की ओर से प्रार्थिनी से उसके बैंक खातो की जानकारी मंगाये जाने हेतु योजित प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 पर आदेश हेतु कुछ देर उपरान्त पुनः पेश हो।

(चैरब बत्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
रूड़की, जिला हरिद्वार।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम रूडकी, जिला हरिद्वार
प्रकीर्ण वाद संख्या 120 / 2023
कम्प्यूटर संख्या 358 / 2020
विशाखा शर्मा बनाम अर्पित शर्मा आदि
CNR No- UKHA06-003662-2020
धारा 12 डी0वी0 एक्ट
थाना मंगलौर, जिला हरिद्वार

दिनांक 10.08.2026 कुछ देर उपरान्त

पत्रावली पुनः पेश हुई। पत्रावली विपक्षी की ओर से प्रार्थिनी से उसके बैंक खातों की जानकारी मंगाये जाने के सम्बन्ध में योजित प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 पर आदेश हेतु नियत है।

2. उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 में संक्षेप में कथन है कि पैटीशनर ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के शपथपत्र में जानबूझ कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किये गये अपने फिक्स डिपॉजिट का ब्यौरा माननीय न्यायालय से छुपाया है। क्योंकि पैटीशनर द्वारा ये फिक्स डिपॉजिट स्वयं अपने नाम पर करवाये गये थे। अतः पैटीशनर को इनकी समूचित जानकारी थी जोकि पैटीशनर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देते समय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती थी। पैटीशनर ने अति महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जबकि पैटीशनर ने व्यक्तिगत जानकारी के शपथपत्र में शपथपूर्वक यह ब्यान किया है कि वह किसी तथ्य को छिपा नहीं रही है। निम्न वर्णित खाता संख्या व निम्न दिनांकों पर विशाखा शर्मा (पैटीशनर ने) भारतीय स्टेट बैंक की गुरूकुल नारसन शाखा के अन्तर्गत कि सात (7) फिक्स डिपॉजिट करवाये जो क्रमशः खाता सं० 36033660702 दिनांक 24.08.2016, खाता सं० 36204012442 दिनांक 25.10.2016, खाता सं० 37058140299 दिनांक 02.08.2017, खाता सं० 38112215920 दिनांक 06.12.2018, खाता सं० 38289258154 दिनांक 28.02.2019, खाता सं० 38477555288 दिनांक 24.05.2019, खाता सं० 38630614491 दिनांक 25.07.2019 हैं। पैटीशनर ने उपरोक्त वर्णित फिक्स डिपॉजिट में लगभग छः लाख (6,00,000) की मात्र की रकम जमा कर रखी है, साथ ही पैटीशनर के पास खाता सं0–20230608863 भी उपरोक्त वर्णित बैंक में है। उपरोक्त वर्णित सभी फिक्स डिपोजिट प्रार्थी / विपक्षी को व्यक्तिगत रूप से जानकारी है क्योंकि ये फिक्स डिपॉजि पैटीशनर ने प्रार्थी / विपक्षी के साथ रहते हुये उसके सम्पर्क में रहने के दौरान कराये थे। उपरोक्त वर्णित सभी फिक्स डिपॉजिट 10 वर्ष के लिये कराये गये हैं। पैटीशन के वर्ष 2020 में उपरोक्त वाद दायर करने के पश्चात पैटीशनर की सैलरी में कई बार वृद्धि हुई, परन्तु पैटीशनर ने इस विषय में जानबूझकर कोई भी जानकारी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की। दिनांक 08.07.2024 से दिनांक 07.01.2024 के दौरान पैटीशन की सैलरी बढकर 33880 एच0आर0ए0 हो गई है जा`कि पूर्व में 30800 एच0आर0ए0 थी। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि भारतीय स्टेट बैंक की गुरुकुल नारसन शाखा से पैटीशनर विशाखा शर्मा के समस्त बैंक खातों से सम्बन्धित जानकारी रिकॉर्ड से मंगवाने की कृपा करें। आदि कथन किये गये।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर व्यथिता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें सक्षेप में कथन किया गया है कि, यह कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 झूठे एवं मनघडन्त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी ने प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 में वर्णित खाता संख्या व निम्न दिनांकों पर भारतीय स्टेट बैंक की गुरूकुल नारसन शाखा के अन्तर्गत जो 7 फिक्स डिपोजिट करवाने बताये है वह गलत तरीके से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है। खाता सं0 36033660702 की एफ0डी0 दिनांकित 24.08.2016 प्रार्थीया व प्रार्थीया के भाई अर्पित कुमार शर्मा के संयुक्त नाम से है। खाता सं0 36204012442 की एफ0डी0 दिनांकित 25.10.2016 प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता शिक्षा देवी के संयुक्त नाम से है। खाता सं0 37058140299 की एफ0डी0 दिनांकित 02.08.2017 प्रार्थीया व प्रार्थीया के भाई अर्पित कुमार शर्मा के संयुक्त नाम से है। उक्त तीनों एफ0डी0 प्रार्थीया के पिता द्वारा संयुक्त रूप से करायी गयी है। खाता सं0 381122155920 की एफ0डी0 दिनांकित 06.12.2018 प्रार्थीया व प्रार्थीया के भाई अर्पित कुमार शर्मा के संयुक्त नाम से है। खाता सं0 38289258154 की एफ0डी0 दिनांकित 28.02.2019 प्रार्थीया व प्रार्थीया के भाई अर्पित कुमार शर्मा के संयुक्त नाम से है। खाता सं0–38477555288 की एफ0डी0 दिनांकित 02.08.2017 प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता शिक्षा देवी के संयुक्त नाम से है। खाता सं0–38630614491 की एफ0डी0 दिनांकित 25.07.2019 प्रार्थीया व प्रार्थीया के भाई के नाम अर्पित कुमार शर्मा के संयुक्त नाम से है। उक्त चारों एफ०डी० प्रार्थीया के भाई अर्पित कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से करायी गयी है। उक्त सातों एफ०डी० प्रार्थीया के भाई व पिता द्वारा एक–एक वर्ष के लिए करायी गयी थी जो कि प्रत्येक वर्ष स्वंय ही रिनिव हो जाती है। उक्त समस्त एफ0डी0 10 वर्ष के लिए फिक्स नहीं करायी गयी थी। क्योंकि उक्त समस्त एफ0डी0 की कोई समय सीमा नहीं है। उक्त सातों एफ0डी0 प्रार्थीया के पिता व भाई की सम्पत्ति है व सभी एफ0डी0 संयुक्त है जिनपर प्रार्थीया का कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थीया आई0आई0टी0 रूडकी में कोन्ट्रैक्चयुल बेस पर प्रोजेक्ट पर कार्य करती है। परन्तु विपक्षी उक्त विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम प्रार्थीया के सम्बन्ध में सूचनायें मांगकर प्रार्थीया को तंग व परेशान करता है तथा प्रार्थीया को विभाग में सही प्रकार से कार्य भी नहीं करने देता है। प्रार्थीया द्वारा परिवार

न्यायालय रूडकी में भी अपनी समस्त डिटेल दाखिल की हुई है। विपक्षी द्वारा पैरा नं0 8 व 9 में जो कथन किये गये है वह मात्र प्रार्थीया को तंग व परेशान करने के लिए तथा भरण पोषण न देना पडे इसलिए किये है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत विपक्षीय द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.2024 बलहीन है जो निरस्त होने, योग्य है।

4. सुना व अवलोकन किया।

5. विपक्षी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से उक्त में वर्णित विवरण के अनुसार प्रार्थिनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की गुरूकुल नारसन शाखा में कुल 07 फिक्स डिपोजिट कराने तथा स्वयं की व्यक्तिगत सूचनाओ के सम्बन्ध में दाखिल शपथपत्र में उक्त की जानकारी न देना कहते हुये प्रार्थिनी के उक्त बैंक के खातो की जानकारी अभिलेख पर लाये जाने हेतु आदेश करने की प्रार्थना की गयी है जिस पर प्रार्थिनी की ओर से आपत्ति में उक्त 07 फिक्स डिपोजिट में से पांच प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के भाई अर्पित शर्मा के संयुक्त नाम पर होने व दो प्रार्थिनी व उसकी माता के संयुक्त नाम पर होने के कथन करते हुये तीन फिक्स डिपोजिट प्रार्थिनी के पिता व व चार फिक्स डिपोजिट प्रार्थिनी के भाई द्वारा कराया जाना कहा गया है। प्रार्थिनी द्वारा उक्त फिक्स डिपोजिट अपने पिता व भाई की सम्पत्ति होने तथा स्वयं का उक्त पर कोई अधिकार ना होना कहा गया है ।

6. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Rajneesh vs.Neha & Anr.Criminal Appeal No.730/2020 (Arising out of SLP (Cri.No.9503/2018) में पारित विधि व्यवस्था में अन्य बातो के अतिरिक्त भरण पोषण प्राप्त किये जाने हेतु योजित वादो में पक्षकारो की आय/सम्पत्ति व देयताओ को वर्णित किये जाने के सम्बन्ध में शपथपत्र दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे न्यायालय को पक्षकारो की वित्तीय स्थिति /आवश्यकता के अनुरूप भरण पोषण के सम्बन्ध में अनुतोष तथा भरण पोषण धनराशि का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त हो सके। प्रार्थिनी द्वारा अपनी आपत्ति में यघपि उक्त 07 फिक्स डिपोजिट उसके अकेले स्वयं के नाम पर होने के तथ्य का खण्डन करते हुये उक्त का अपने पिता व भाई की सम्पत्ति होना कहा है किन्तु चूंकि उसके द्वारा विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित फिक्स डिपोजिट का अस्तित्व में होना व उपरोक्त में से पांच का अपने भाई तथा दो का अपनी माता के साथ संयुक्त नाम से होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में भविष्य में मामले के गुण दोष पर निस्तारण के समय, प्रार्थिनी द्वारा वांछित अनुतोषो के निर्धारण हेतु उपरोक्त फिक्स डिपोजिट में जमा धनराशि का विवरण अभिलेख पर होना आवश्यक है अतः प्रार्थिनी को र्निदेशित किया जाता है कि अग्रिम तिथि पर विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित खाता संख्याओ से सम्बन्धित स्वयं के व्यक्तिगत अथवा संयुक्त फिक्स डिपोजिट में जमा धनराशि का उल्लेख करते हुये सम्पूर्ण विवरण, स्वयं की आय व देयताओ से सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचनाओ के अतिरिक्त शपथपत्र सहित अभिलेख पर दाखिल करना सुनिश्चित करे। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित। पत्रावली विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2025 पर आदेश हेतु भोजनवकाश उपरान्त पेश हो।

(चैरब बत्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
रूड़की, जिला हरिद्वार।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम रूडकी, जिला हरिद्वार

प्रकीर्ण वाद संख्या 120 / 2023

कम्प्यूटर संख्या 358 / 2020

विशाखा शर्मा बनाम अर्पित शर्मा आदि

CNR No- UKHA06-003662-2020

धारा 12 डी0वी0 एक्ट

थाना मंगलौर, जिला हरिद्वार

दिनांक 10.08.2026 भोजनवकाश उपरान्त

1. पत्रावली पुनः पेश हुई। पत्रावली विपक्षी की ओर से घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम की धारा 25(2) के अर्न्तगत योजित प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2025 पर आदेश हेतु नियत है।

2. उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2025 में संक्षेप में कथन है कि, वाद में उपरोक्त में प्रार्थी / विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 26.06.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा मु–2,000 / – दो हजार रूपये प्रतिमाह प्रार्थीया को देने का आदेश पारित किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि भुगतान की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख भुगतान कर दी जाये जिसे विपक्षी सं0–1 अर्पित शर्मा द्वारा भुगतान किया जा रहा है। जबकि प्रार्थीया श्रीमती विशाखा शर्मा दिनांक 04.04.2022 से वर्तमान समय तक लगातार रूडकी आई0आई0टी0 प्रोजेक्ट असिस्टेन्ट एडमिन के पद पर कार्यरत है तथा वर्तमान समय में रूडकी आई0आई0टी0 से मु0–33,880 / – रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रही है। जबकि विपक्षी सं0–1 अर्पित शर्मा के पिताजी की हत्या दिनांक 16.06.2022 को प्रार्थीया विशाखा शर्मा के भाई के द्वारा किये जाने के तुरन्त बाद से ही विपक्षी सं0–1 अर्पित शर्मा पूर्णतया बेरोजगार है। क्योंकि तबसे ही विपक्षी सं0–1 अर्पित शर्मा को अपनी जान का खतरा बना हुआ है तथा आस पास के कोई भी लोग अपने बच्चों को विपक्षी सं0–1 अर्पित शर्मा के पास टयूशन भेजने को तैयार नही है और ना ही अन्य कोई विपक्षी सं0–1 अर्पित शर्मा को अपने यहाँ रोजगार देने को तैयार है। माननीय न्यायालय के इस आदेश के अतिरिक्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश महोदय रूडकी द्वारा दिनांक 29.02.2024 को विपक्षी सं0–1 अर्पित शर्मा के विरूद्ध प्रतिमाह मु0–5,000 / –रूपये देने का आदेश पुत्री कु० ध्वनि को देने का आदेश पारित किया गया है। इसलिये न्यायहित में प्रार्थीया विशाखा शर्मा के आय के स्रोत को दृष्टिगत रखते हुये आदेश दिनांकित 26.06.2023 को निरस्त किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया विशाखा शर्मा के आय के स्रोत को दृष्टिगत रखते हुये आदेश दिनांकित 26.06.2023 को निरस्त करने की कृपा करें, आदि कथन किये गये।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर व्यथिता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें सक्षेप में कथन किया गया है कि, विपक्षी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2025 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। उक्त प्रार्थना पत्र झूठे मनगढन्त तथ्यों पर दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 26.06.2023 गुणदोष के आधार पर कारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। प्रार्थीया / वादिया आ. ई0आई0टी0 रूड़की में प्रोजेक्ट असिसटेन्ट के पद पर संविदा के रूम में एक वर्ष हेतु नियत हुई थी। प्रा. र्थीया / वादिया कभी भी लगातार आई0आई0टी0 रूड़की में कार्य नहीं करती रही। विपक्षी ने अपने पिता की हत्या का झूठा आरोप लगाया है। जिसमें सच्चाई किसी प्रकार की नहीं है। विपक्षी का यह कहना कि उसकी पिता की हत्या के बाद से विपक्षी पूर्णतया बेरोजगार है तथा उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है, जो कि बिल्कुल झूठा कथन है। उसके द्वारा एम0एस0सी0 (इन्डस्ट्रीयल कैमेस्ट्री) से की हुई है तथा विवाह से पूर्व वह विवाह के पश्चात कई कम्पनियों में नौकरी की है तथा वर्तमान में देहरादून में बच्चों को पढाने के लिये कोचिंग सेन्टर खोल रखा है तथा बच्चों को घर पर भी ट्यूशन पढाने जाता है। विपक्षी के द्वारा गागलहेडी में दो मकान है। जिसमें से एक मकान उसके द्वारा किराये पर दिया हुआ है तथा विपक्षी ने पिता द्वारा गांव स्कूल भी खोला हुआ है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात विपक्षी ही उस स्कूल की देखभाल कर रहा है तथा वहां से भी विपक्षी को अच्छी आमदनी होती है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.06.2023 के द्वारा मुब0 2,000 / – रूपये भरण पोषण का आदेश किया हुआ है। उस आदेश की पालना भी विपक्षी द्वारा नहीं की जा रही है। प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश महोदय रूड़की द्वारा जो 5,000 / – रूपये प्रतिमाह प्रार्थीया की पुत्री ध्वनि को देने का आदेश पारित किया गया है। उस आदेश का भी अनुपालन विपक्षी द्वारा नहीं किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2025 में ऐसा कोई भी कारण उल्लेखित नहीं है। जिससे माननीय न्यायालय का यह सामाधन हो जाये कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2023 विधि विरूद्ध है। उपरोक्त कारणों व अन्य कानूनी कारणों के आधार पर विपक्षी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.04.2026 निरस्त होने योग्य है, आदि कथन किये गये।

4. सुना व अवलोकन किया।

5. विपक्षी की ओर से घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम की धारा 25 (2) के अर्न्तगत हस्तगत प्रार्थना पत्र योजित कर प्रार्थिनी द्वारा अधिनियम की धारा 23 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.06.2023 ,जिसमें प्रार्थिनी हेतु विपक्षी को मु0 2,000 रूपये अन्त. रिम भरण पोषण प्रतिमाह दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है को मुख्यतः प्रार्थिनी के आय के स्त्रोत को

दृष्टिगत रखते हुये निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अवलोकनीय है कि विपक्षी की ओर से प्रा. र्थना पत्र का आधार यह लिया गया है कि,प्रार्थिनी दिनांक 04.04.2022 से वर्तमान समय तक आई0 आ. ई0टी0 रूडकी में प्रोजेक्ट असिस्टेंट एडमिन के पद पर है व मु0 33,800 रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रही है जबकि दिनांक 16.06.2022 को प्रार्थिनी के भाई द्वारा विपक्षी के पिता की हत्या करने के बाद से विपक्षी बेरोजगार है ,उसे अपनी जान का खतरा है व कोई विपक्षी को रोजगार देने के लिये तैयार नही है। विपक्षी के यह भी कथन है कि माननीय प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश महोदय रूडकी द्वारा पक्षक. ारो की पुत्री हेतु मु0 5,000 प्रतिमाह देने के आदेश दिये गये है । प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी की ओर से आ. पत्ति करते हुये अन्य कथनो के अतिरिक्त विपक्षी के बेरोजगार होने के कथनो को नकारते हुये उसका विवाह से पूर्व व पश्चात भी कई कम्पनीयो में नोकरी करना, बच्चो को पढाने के लिये कोचिंग सेंटर खोला होना, विपक्षी को मकान के किराये से भी आय प्राप्त होना व विपक्षी के पिता द्वारा गांव में खोले गये स्कूल की देखभाल से भी विपक्षी को आय होना कहा गया है।

6. उल्लेखनीय है कि घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम की धारा 25 (2) के अर्न्तगत प्रावधानित है कि *,यदि मजिस्ट्रेट का, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी आदेश में परिवर्तन, उपान्तरण या प्रति. संहरण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपेक्षित है तो वह लेखबद्व किये जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश,जो वह समुचित समझे पारित कर सकेगा।*

7. वर्तमान प्रकरण में अवलोकनीय है कि ,प्रार्थिनी द्वारा पूर्व में वर्ष 2020 में घरेलू हिसां से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के अर्न्तगत योजित प्रार्थना पत्र में स्वयं का बेरोजगार होना व आय का कोई साधन ना होना वर्णित किया गया है जिस पर विपक्षी की ओर से पूर्व में वर्ष 2022 मे आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा उक्त सम्बन्ध में लिखित बहस भी दाखिल की गयी जिसमें भी विपक्षी के बेरोजगार होने व प्रार्थिनी द्वारा आय अर्जित करने सम्बन्धी कथन अंकित है,तदोपरान्त न्यायालय द्वारा सुनवाई पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 26.06.2023 को आदेश पारित करते हुये विपक्षी को प्रार्थिनी हेतु मु0 2,000 प्रतिमाह आदेश दिये गये है ।

8. उल्लेखनीय है कि यघपि उपरोक्त प्रार्थना पत्र योजित किये जाने की तिथि पर प्रार्थिनी का बेरोजगार होना अभिकथित था व वर्तमान में उसकी आय के स्त्रोत होने से प्रार्थिनी द्वारा इंकार नही किया गया है, किन्तु साथ ही यह भी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि विधि स्थापित है कि अपनी पत्नी व बच्चो के भरण पोषण हेतु एक पति व पिता का दायित्व सदैव उच्चतर पायदान पर होता है व विपक्षी की शैक्षिक योग्यता तथा किसी शारीरिक व मानसिक निर्योगिता से ग्रसित न होने के दृष्टिगत वह आय अर्जित करने मे व भरण पोषण करने हेतु सक्षम व्यक्ति है व न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2023 को आदेश पारित किये जाने के पश्चात से चिकित्सा, वस्त्रों ,घरेलू सामान आदि की महंगाई दरो में भी बढोत्तरी होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी की स्वतंत्र आय का स्त्रोत होने की दशा में भी पूर्व में न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी हेतु प्रतिमाह मु0 2,000 अंतरिम भरण पोषण की नियत धनराशि की मात्रा के दृष्टिगत प्रार्थिनी हेतु आदेशित प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण धनराशि में कोई उपांतरण , परिवर्तन या प्रतिसंहरण करना न्यायोचित नही होगा। उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तदनुसार अस्वीकार । पत्रावली प्रार्थिनी साक्ष्य हेतु दिनांक 03.09. 2026 को पेश हो।

(चैरब बत्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
रूड़की, जिला हरिद्वार।